2004:सीजीएचसी:13
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

समक्षः छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 45 / 2004

याचिकाकर्ताः पंचू राम देशमुख, आयु लगभग 30 वर्ष,
पिता स्वर्गीय श्री सोमनाथ देशमुख,
व्यवसाय – व्यापार, निवासी ग्राम – तितुरडीह,
तहसील एवं जिला – दुर्ग (छत्तीसगढ़)

–बनाम–

उत्तरवादीगण :
1. छत्तीसगढ़ राज्य,
सचिव, आबकारी विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग, तहसील एवं जिला – दुर्ग (छत्तीसगढ़)
3. आयुक्त (आबकारी) रायपुर, तहसील एवं जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़)
4. अतिरिक्त जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग, तहसील एवं जिला – दुर्ग (छत्तीसगढ़)
5. अजीत सिंह, ठेकेदार, एफ.एल. 1, दल्ली लोहारा, जिला – दुर्ग
6. गुलबीर सिंह भाटिया, ठेकेदार एफ.एल. 3, होटल जी.एस. दल्ली राजहरा, जिला – दुर्ग
7. श्री फागू राम जर्री, ठेकेदार एफ.एल. 3, होटल मिड टाउन, दल्ली राजहरा, जिला – दुर्ग

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 03/02/2004 को सूचिबद्ध करे

सही/–
एल.सी. भादू
न्यायाधीश

समक्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 45/2004

याचिकाकर्ता: पंचू राम देशमुख, आयु लगभग 30 वर्ष,
पिता स्वर्गीय श्री सोमनाथ देशमुख,
व्यवसाय – व्यापार, निवासी ग्राम – तितुरडीह, तहसील एवं जिला – दुर्ग (छत्तीसगढ़)

–बनाम–

उत्तरवादी:

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, सचिव, आबकारी विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग, तहसील एवं जिला – दुर्ग (छत्तीसगढ़)
3. आयुक्त (आबकारी) रायपुर, तहसील एवं जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़)
4. अतिरिक्त जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग, तहसील एवं जिला – दुर्ग (छत्तीसगढ़)
5. अजीत सिंह, ठेकेदार, एफ.एल. 1, दल्ली लोहारा, जिला – दुर्ग
6. गुलबीर सिंह भाटिया, ठेकेदार एफ.एल. 3, होटल जी.एस. दल्ली राजहरा, जिला – दुर्ग
7. श्री फागू राम जर्री, ठेकेदार एफ.एल. 3, होटल मिड टाउन, दल्ली राजहरा, जिला – दुर्ग

....

याचिकाकर्ता की ओर से श्री रवीन्द्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री अवध त्रिपाठी, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 1 से 4 की ओर से डॉ. एन. के. शुक्ला, अतिरिक्त महाधिवक्ता सहित श्री रणबीर सिंह, शासकीय अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 5 से 7 की ओर से श्री आनंद कुमार तिवारी, अधिवक्ता।

… …

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

<u>समक्ष : माननीय न्यायमूर्ति श्री एल. सी. भादू, न्यायाधीश</u>

<u>आदेश</u>

(<u>पारित दिनांक 03 फरवरी, 2004</u>)

1. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत यह रिट याचिका दायर की है, जिसमें उपायुक्त (आबकारी), रायपुर द्वारा दिनांक 27.12.2003 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत उपायुक्त आबकारी ने कलेक्टर (आबकारी) जिला-दुर्ग द्वारा पारित दिनांक 17.7.2003 के आदेश (अनुलग्नक पी/3) को स्पष्ट और संशोधित किया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 (इसके बाद 'नियम 1996' के रूप में संदर्भित) के नियम-8 के उप-नियम (6) के खंड (ए) के अनुसार, एफ.एल. 3 अनुज्ञप्ति धारक, (कलेक्टर) के अनुलग्नक पी/3 के मद संख्या 20 और 21 में उल्लिखित एफ.एल-1 अनुज्ञप्ति के तीन दुकानों में से किसी भी दुकान से शराब लेने के हकदार हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. इस याचिका को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता वर्ष 2003-2004 से 31 मार्च, 2004 तक दल्ली राजहरा समूह के झारंडल्ली की एफ.एल.-1 अनुज्ञप्ति धारक है, जबकि उत्तरवादी क्र.5 भी दल्लीराजहरा दुकान जिला-दुर्ग के एफ.एल.-1 अनुज्ञप्ति की धारक है और उत्तरवादी क्र. 6 और 7 दल्लीराजहरा के एफ.एल.-3 अनुज्ञप्ति धारक हैं। आबकारी नियमों के अनुसार, एफ.एल.-1 अनुज्ञप्ति धारक वे अनुज्ञप्ति धारक हैं जिनके अनुज्ञप्ति फॉर्म एफ.एल. 1 में दिए गए हैं, उनका निराकरण या तो नीलामी/निविदा या "शुल्क-प्रति-बोतल-प्रणाली" या दोनों प्रणालियों के संयोजन से या ऐसे अन्य तरीके से किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देशित कर सकती है। फॉर्म एफ.एल.1 में अनुज्ञप्ति रखने वाला लाइसेंसी, विदेशी मदिरा को सीलबंद बोतलों में उपभोक्ताओं को और एफ.एल.2, एफ.एल.3 और एफ.एल.5 अनुज्ञप्ति धारियों को बेचेगा। एफ.एल. 3 अनुज्ञप्ति धारक अपने परिसर में लाइसेंसीकृत परिसर में निवासियों को उनके स्वयं के उपयोग या उनके मेहमानों और अन्य आकस्मिक आगंतुकों के उपयोग के लिए, भोजन और नाश्ते के साथ विदेशी शराब बेचने के हकदार हैं। यह अनुज्ञप्ति ऐसे पैमाने और मानक के होटलों को प्रदान किया जा सकता है जिनमें आवास और भोजन दोनों की सुविधाएँ हों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए, उत्तरवादी क्र.6 और 7 जो एफ.एल. 3 अनुज्ञप्ति धारक हैं, होटल व्यवसायी हैं, जैसा कि अनुज्ञप्ति की शर्त के अनुसार, उन्हें आबकारी विभाग के अधिकारियों, उत्तरवादी क्र. 2 और 4 से अनुज्ञा-पत्र

प्राप्त करने के बाद एफ.एल.1 अनुज्ञप्ति धारकों से अपनी आवश्यकता के अनुसार विदेशी शराब खरीदने की अपेक्षा है। याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्र.5 जो एफ.एल.1 अनुज्ञप्ति धारक हैं, सीलबंद बोतलों में विदेशी शराब उपभोक्ताओं और एफ.एल.3 अनुज्ञप्ति धारकों को बेचने के हकदार हैं।

3.. याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्र.5 ने वर्ष 2003–2004 अर्थात 31 मार्च, 2004 तक की अवधि के लिए एफ.एल.1 अनुज्ञप्ति प्राप्त की थी। याचिकाकर्ता की दुकान झारंडल्ली में है जबकि उत्तरवादी क्र.5 की दुकान दल्लीराजहरा में है। याचिकाकर्ता के कथनानुसार, उत्तरवादी क्र.2 और 4 उत्तरवादी क्र.6 और 7 द्वारा उनके होटल में उपभोग और उपयोग के लिए याचिकाकर्ता की दुकान के पक्ष में मदिरा उठाने हेतु परिवहन अनुज्ञा–पत्र जारी करते थे। अनुलग्नक पी/3 आदेश के अनुसार, उत्तरवादी क्र.2 और 4 को उत्तरवादी क्र.6 और 7 को पहली बार में उसकी (याचिकाकर्ता की) दुकान से विदेशी मदिरा उठाने के लिए अनुज्ञा–पत्र जारी करना आवश्यक है और यदि कोई विशेष प्रकार की मदिरा याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध नहीं है, तो उत्तरवादी क्र.2 और 4 को उत्तरवादी क्र.6 और 7 को बालोद स्थित दुकान से, जो अनुलग्नक पी/3 में क्रम संख्या 2 पर है, उस विशेष मदिरा को उठाने के लिए अनुज्ञा–पत्र जारी करना आवश्यक है और इसके अतिरिक्त यदि वह विशेष मदिरा बालोद स्थित दुकान पर भी उपलब्ध नहीं है, तो उत्तरवादी क्र.2 और 4 को उत्तरवादी क्र.6 और 7 को डौंडीलोहारा दुकान अर्थात उत्तरवादी क्र.5 की दुकान से मदिरा उठाने के लिए अनुज्ञा–पत्र जारी करना आवश्यक है। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अनुलग्नक पी/3 में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और यह प्रथा वर्ष 2002–2003 में और उसके बाद 12.12.2003 तक जारी रही। तथापि, उत्तरवादी क्र.6 और 7, उत्तरवादी क्र.5 की दुकान से मदिरा उठाने में रुचि रखते हैं क्योंकि उत्तरवादी क्र.5 की दुकान का मालिक उत्तरवादी क्र.7 का करीबी रिश्तेदार है, इसलिए दिसंबर, 2003 से उत्तरवादी क्र.2 और 4 ने उत्तरवादी क्र.5 के पक्ष में अनुज्ञा–पत्र जारी करना शुरू कर दिया जो अनुलग्नक पी/5 से स्पष्ट है। उत्तरवादी क्र.5 की दुकान दूसरे समूह अर्थात बालोद में स्थित है, दल्लीराजहरा समूह में नहीं, और समूहीकरण योजना के अनुसार उत्तरवादी क्र.6 और 7 को याचिकाकर्ता की दुकान से मदिरा उठाना आवश्यक है जो डल्लीराजहरा समूह में आती है और उत्तरवादीयो के इस कृत्य से याचिकाकर्ता का व्यवसाय प्रभावित होने लगा है क्योंकि याचिकाकर्ता 6,34,789/– रुपये की मासिक शुल्क का भुगतान कर रहा है। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उत्तरवादी क्र.7 ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बालोद के समक्ष एक व्यवहार वाद दायर किया जिसमें यह आदेश देने की मांग की गई कि आबकारी विभाग को उसे उत्तरवादी क्र.5 की दुकान से मदिरा उठाने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाए। जब उत्तरवादी क्र.7 उस

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

व्यवहार वाद में सफल नहीं हो सका तो उसने आबकारी आयुक्त के समक्ष एक अभ्यावेदन दिया और आबकारी आयुक्त ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना और सूचना दिए बिना उत्तरवादी क्र.7 के अभ्यावेदन को स्वीकार कर लिया और कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अनुलग्नक पी/3 को आक्षेपित आदेश दिनांक 27-12-2003 के माध्यम से संशोधित कर दिया। इसलिए, आक्षेपित आदेश दिनांक 27-12-2003 अनुलग्नक पी/5 को रद्द किया जाए और उत्तरवादी क्र.2 और 4 को अनुलग्नक पी/3 के अनुसार याचिकाकर्ता के पक्ष में अनुज्ञा-पत्र जारी करने का निर्देश दिया जाए।

4. उत्तरवादियों की ओर से जवाब दाखिल किया गया है और सभी उत्तरवादियों ने उल्लेख किया है कि नियम 1996 के नियम 8 के उप-नियम (6) के खंड (क) के अनुसार उत्तरवादी क्र.6 और 7 अपनी आवश्यकता के अनुसार तीन दुकानों में से किसी एक अर्थात झारंडल्ली स्थित याचिकाकर्ता की दुकान, बालोद स्थित दुकान या डौंडीलोहारा स्थित दुकान से विदेशी मदिरा उठाने के हकदार हैं: कि नियम 8 के उप-नियम (6) के खंड (क) के उपरोक्त प्रावधान की भावना यही होने के कारण, उप आबकारी आयुक्त ने आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी/5 दिनांक 27.12.2003 जारी किया और इससे भी पहले दिनांक 13/15-5-2002 को अतिरिक्त आबकारी आयुक्त ने एक समान आदेश जारी किया था और कलेक्टर नियम 8 के उप-नियम (6) के खंड (क) के अनुसार आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश के तहत उपरोक्त तीन दुकानों में से किसी से भी विदेशी मदिरा उठाने के लिए अनुज्ञा-पत्र जारी करने के निर्देश जारी करने के लिए बाध्य था और याचिकाकर्ता की याचिका गुणविहीन होने से इसे खारिज किया जाए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. मैंने याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रवीन्द्र श्रीवास्तव, उत्तरवादी क्रमांक 1 से 4 की ओर से विद्वान अपर महाधिवक्ता डॉ. एन. के. शुक्ला और उत्तरवादी क्रमांक 5 से 7 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद कुमार तिवारी को सुना।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दो मुख्य तर्क किए, पहला यह कि नियम 1996 के नियम 8 के उप-नियम (6) के खंड (क) की भावना के अनुसार कलेक्टर का आदेश, अनुलग्नक पी/3 सही है और यह नियम की भावना के अनुरूप है, जबकि उप आबकारी आयुक्त का आदेश, अनुलग्नक आर-7/5, दिनांक 27.12.2003 और अपर आबकारी आयुक्त का दिनांक 13/15-5.2002 का आदेश नियम की भावना के

अनुरूप नहीं हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का दूसरा तर्क यह है कि उप आबकारी आयुक्त ने उत्तरवादी क्र.7 द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर दिनांक 27.12.2003 को आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया और न ही कारण बताओ सूचना जारी किया गया, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो का उल्लंघन है।

7. दूसरी ओर, उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उप आबकारी आयुक्त का दिनांक 27.12.2003 का आक्षेपित आदेश और अपर आयुक्त का दिनांक 13/15–5–2002 का आदेश उपरोक्त नियम के अनुरूप हैं और कलेक्टर द्वारा पारित आदेश, अनुलग्नक पी/3 नियम की भावना के अनुरूप नहीं है।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों की सराहना करने के लिए, सुसंगत नियमों को पुनरुत्पादित करना उपयोगी है। नियम–8 के उप–नियम (6) के खंड (क) और (ख) निम्नानुसार हैं:–

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(6) **एफ.एल.1, एफ.एल.1ए, एफ.एल.1एए, एफ.एल.1एएए, एफ.एल.10 या एफ.एल.10ए अनुज्ञप्ति के साथ कुछ की कुर्की।**

(क) एफ.एल.2, एल.एल.3, एफ.एल.4, एफ.एल.4ए या एफ.एल.5 अनुज्ञप्तिधारी जिले के ऐसे एफ.एल.1, एफ.एल.1ए, एल.एफ.1एए या एफ.एल.1एएए अनुज्ञप्तिधारी से विदेशी मदिरा क्रय करेगा, जैसा कि कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त या राज्य सरकार के सामान्य निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट किया जा सकता है। ऐसे ब्रांडों या लेबलों की खरीद, जो जिले के किसी भी एफ.एल.1, एफ.एल.1ए, एफ.एल.1एए या एफ.एल.1एएए अनुज्ञप्तिधारी के पास उपलब्ध नहीं हैं, राज्य के किसी अन्य पड़ोसी जिले के किसी भी समान अनुज्ञप्तिधारी से, विशेष परिस्थितियों में आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत की जा सकती है।

(ख) इसी प्रकार, प्रत्येक एफ.एल.1, एल.एल.1ए, एफ.एल.1एए या एफ.एल.1एएए अनुज्ञप्तिधारी अपने जिले में शुल्क और बोतल शुल्क का भुगतान करने के पश्चात्, उस संभाग में कार्यरत किसी भी एफ.एल.10, एफ.एल.10–ए अनुज्ञप्तिधारी से अपनी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करेगा, जिसमें जिला स्थित है। यदि विदेशी मदिरा का कोई ब्रांड या लेबल संभाग के किसी एफ.एल. 10, एफ.एल.10ए अनुज्ञप्तिधारी के पास उपलब्ध नहीं है, या यदि कुछ विशेष परिस्थितियाँ ऐसी अपेक्षा करती हैं, तो ऐसे एफ.एल.1, एफ.एल.1ए, एफ.एल.1एए या एफ.एल.1एएए अनुज्ञप्तिधारी को आबकारी आयुक्त द्वारा किसी अन्य पड़ोसी संभाग में कार्यरत किसी भी एफ.एल. 10, एफ.एल. 10ए अनुज्ञप्तिधारी से ऐसा ब्रांड या लेबल खरीदने की अनुमति दी जा सकती है।

9. नियम 8 के उप–नियम (6) के खंड (क) का शीर्षक 'कुछ अनुज्ञप्तियों का निकटतम एफ.एल.1 के साथ संलग्नक' शब्दों से प्रारम्भ होता है और इस नियम में यह उल्लेख किया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी जिले के कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त या राज्य सरकार के सामान्य निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट ऐसे एफ.एल.1 अनुज्ञप्तिधारी से विदेशी मदिरा क्रय करेगा। इसलिए यह नियम यह निर्धारित करता है कि एफ.एल.–3 अनुज्ञप्तिधारी को एफ.एल.3 दुकान से संलग्न निकटतम एफ.एल.1 दुकान से मदिरा उठानी आवश्यक है और नियम की भाषा एकवचन में है, बहुवचन में नहीं, और यह निर्विवाद है कि निकटतम एफ.एल.1 दुकान याचिकाकर्ता की दुकान है जो उत्तरवादी क्र. 6 और 7 के परिसर के बीच स्थित बताई जाती है, जबकि बालोद और डौंडीलोहारा की दुकानें 5 से 6 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थित हैं और इस नियम की भावना को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर आबकारी ने आदेश अनुलग्नक पी/3 जारी करते समय जिसमें उत्तरवादी क्र.7 को क्रम संख्या 21 पर दर्शाया गया है, जो एफ.एल. 3 अनुज्ञप्ति धारक है और उसके नाम के सामने तीन दुकानें नंबर 1 झारंडल्ली, नंबर 2 बालोद, और नंबर 3 डौंडीलोहारा में दिखाई गई हैं। इस आदेश में क्रम संख्या 20 पर उत्तरवादी क्र.6 का नाम दर्शाया गया है जो भी एफ.एल. 3 अनुज्ञप्ति धारक है और उसके नाम के सामने भी तीन दुकानें अर्थात् नंबर 1 झारंडल्ली, नंबर 2 बालोद, और नंबर 3 डौंडीलोहारा में दिखाई गई हैं। याचिकाकर्ता की दुकान उत्तरवादी क्र. 6 और 7 की निकटतम दुकान होने के कारण, कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया कि प्रथम दृष्टया एफ.एल. 3 अनुज्ञप्तिधारी दुकान नंबर 1 से मदिरा उठाएगा और यदि आवश्यक मदिरा उस दुकान पर उपलब्ध नहीं है तो वे दुकान नंबर 2 से मदिरा उठाएंगे और यदि उसके पास भी वह मदिरा उपलब्ध नहीं है तो वे उत्तरवादी क्र.2 और 4 से अनुज्ञा–पत्र प्राप्त करने के बाद दुकान नंबर 3 से मदिरा उठाने के हकदार हैं और यह आदेश केवल याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्र.6 और 7 के संबंध में नहीं है; यह आदेश 32 अनुज्ञप्ति धारकों के संबंध में है और प्रत्येक एफ.एल.3 और एफ.एल.4 अनुज्ञप्ति धारकों के विरुद्ध तीन दुकानें दिखाई गई हैं जहाँ से उन अनुज्ञप्ति धारकों को उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 3 के क्रम में मदिरा उठानी है। नियम 8 के उप–नियम (6) के खंड (क) में यह शब्द इस्तेमाल किए गए हैं कि 'अनुज्ञप्तिधारी ऐसे एफ.एल. 1 से विदेशी मदिरा क्रय करेगा': इस उप–खंड में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि एफ.एल. 3 अनुज्ञप्तिधारी किसी भी एफ.एल. 1 अनुज्ञप्तिधारी से मदिरा उठाने का हकदार है, और खंड (क) के दूसरे भाग में यह और स्पष्ट किया गया है कि यदि वह विशेष मदिरा उस संलग्न दुकान में उपलब्ध नहीं है, तो एफ.एल. 3 अनुज्ञप्तिधारी अन्य जिले के किसी अन्य एफ.एल. 1 अनुज्ञप्तिधारी से मदिरा ले सकता है और कलेक्टर ने अपने आदेश अनुलग्नक पी/3 में यही किया है। इस संबंध में यदि हम खंड (ख) को देखें, तो यह

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

और स्पष्ट हो जाता है जिसमें यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि 'एफ.एल. 1 अनुज्ञप्तिधारी, अपने जिले में शुल्क और बोतल शुल्क का भुगतान करने के पश्चात्, उस संभाग में कार्यरत किसी एफ.एल. 10, एफ.एल. 10 अनुज्ञप्तिधारी से अपनी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करेगा, जिसमें जिला स्थित है।' इसलिए, खंड (क) में 'ऐसे अनुज्ञप्तिधारी' शब्द का प्रयोग किया गया है जो यह निर्दिष्ट करता है कि एफ.एल. 3 अनुज्ञप्तिधारी को संलग्न एफ.एल. 1 दुकान से मदिरा उठानी है जबकि खंड (ख) में 'संभाग में ऐसी कोई भी दुकान' शब्द का प्रयोग किया गया है, जो दर्शाता है कि एफ.एल. 10 की किसी भी दुकान से एफ.एल. 1 अनुज्ञप्तिधारी मदिरा उठा सकता है। इसलिए, विधानमंडल ने विशेष उद्देश्य से और जानबूझकर इसका प्रयोग किया है। खंड (क) और (ख) में 'ऐसा' और 'कोई भी' शब्द, इसीलिए याचिकाकर्ता के प्रकरण के अनुसार वर्ष 2002–2003 में जिस प्रथा का आदेश अनुलग्नक पी/3 में दिया गया था, उसका पालन किया जा रहा था और वही प्रथा 2003–2004 के लिए अनुलग्नक पी/3 के अनुसार अपनाई गई थी और दिसंबर, 2003 तक भी अप्रैल 2003 से यह प्रथा चल रही थी, लेकिन अचानक उप आबकारी आयुक्त ने उत्तरवादी क्र.6 और 7 के अभ्यावेदन पर याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना और सूचना जारी किए बिना योजना बदल दी और वह भी विभाग द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष व्यवहार न्यायालय में अपनाए गए पक्ष को नजरअंदाज करते हुए, जहाँ उत्तरवादी क्र.7 ने कलेक्टर (आबकारी) के आदेश अनुलग्नक पी/3 को चुनौती देते हुए एक व्यवहार वाद दायर किया था। इन परिस्थितियों में, केवल उत्तरवादी क्र.7 के अभ्यावेदन पर, उसी बिंदु के संबंध में व्यवहार वाद के लंबित रहने के दौरान और वह भी लिखित कथन में विभाग द्वारा अपनाए गए पक्ष के विपरीत, विद्वान उप आबकारी आयुक्त को ऐसा आदेश पारित करने से बचना चाहिए था, वह भी याचिकाकर्ता को अवसर दिए बिना और विशेष रूप से तब जब कलेक्टर (आबकारी) का आदेश अनुलग्नक पी/3 मौजूदा प्रथा के अनुरूप था और वह उप–नियम की भावना के भी अनुरूप था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उत्तरवादी/राज्य द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर लिखित कथन के अवलोकन से पता चलता है कि विभाग ने लिखित कथन के कण्डिका–9 में यह पक्ष लिया था कि वादी अर्थात् यहाँ उत्तरवादी क्र. 7, मांगी गई राहत का हकदार नहीं है कि उसे तीनों दुकानों में से किसी से भी शराब उठाने की अनुमति दी जाए और इस लिखित कथन में यह भी उल्लेख किया गया है कि झारंडल्ली दुकान उत्तरवादी क्र.6 और 7 के सबसे नजदीक दुकान है और उसके बाद बालोद की दुकान और फिर डौंडीलोहारा की दुकान स्थित है, और यह रिकॉर्ड

पर आया है कि उत्तरवादी क्र.5 उत्तरवादी क्र.7 का रिश्तेदार है, इसीलिए वह कुछ दूरी पर होने के बावजूद अपनी दुकान से शराब उठाना चाहता है।

11. उपरोक्त के अनुसार, उप आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश/स्पष्टीकरण, अनुलग्नक आर–7/5 दिनांक 27 दिसंबर, 2003 और अपर आयुक्त (आबकारी) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13/15–5–2003 नियम–8 के उप–नियम (6) के खंड (क) के प्रावधानों के विपरीत हैं। इसलिए, उप आबकारी आयुक्त का आक्षेपित आदेश इस आधार पर अपास्त किए जाने योग्य है।

12. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि उप आबकारी आयुक्त ने याचिकाकर्ता को कारण बताओ सूचना या सुनवाई का अवसर दिए बिना, केवल उत्तरवादी क्र.7 द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, मौजूदा आदेश अनुलग्नक पी/3 को संशोधित करते हुए आक्षेपित आदेश जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता का व्यवसाय प्रभावित हुआ है और जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **महाबीर ऑटो स्टोर्स एवं अन्य बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एवं अन्य**, ए.आई.आर. 1990 एस.सी. 1031 में प्रकाशित प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया है कि 'राज्य संविधान के अनुच्छेद 298 के तहत अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग व्यक्तिगत पक्षों के साथ अनुबंध करने या न करने में करता है। संविधान का अनुच्छेद 14 शक्ति के उस प्रयोग पर लागू होगा। शक्तियों का प्रयोग विधि के शासन द्वारा शासित होना चाहिए और कारणों से सूचित होना चाहिए। इसलिए लोक प्राधिकारी की जो भी गतिविधि हो, उसे संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।' उस प्रकरण में एक फर्म 18 वर्षों की अवधि के लिए सभी प्रकार के स्नेहकों की बिक्री और वितरण का व्यवसाय कर रही थी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा स्नेहकों की आपूर्ति फर्म को कोई जानकारी या सूचना दिए बिना रोक दी गई थी, निगम की कार्रवाई को मनमाना माना गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **केनरा बैंक एवं अन्य बनाम श्री देबाशीष दास एवं अन्य** जेटी 2003 (3) एससी 183 में प्रकाशित प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि सभी सभ्य राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन तब सर्वोच्च महत्व का होता है जब कोई अर्ध–न्यायिक निकाय पक्षकारों के बीच विवादों का निर्धारण करने या नागरिक परिणामों से जुड़े किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई में प्रवृत्त होता है। ये सिद्धांत सुस्थापित हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत वह है जिसे सामान्यतः ऑडी अल्टरम पार्टेम नियम

(दूसरे पक्ष को भी सुनो) के रूप में जाना जाता है। सिद्धांत यह है कि किसी को भी बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। सूचना इस सिद्धांत का पहला अंग है। यह सटीक और असंदिग्ध होना चाहिए। इसे पक्षकार को निश्चयात्मक रूप से उस प्रकरण से अवगत कराना चाहिए जिसका उसे सामना करना है। इस उद्देश्य के लिए दिया गया समय पर्याप्त होना चाहिए ताकि वह अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सके। इस प्रकार के सूचना और ऐसे उचित अवसर के अभाव में, पारित आदेश पूरी तरह से दूषित हो जाता है। इस प्रकार, यह आवश्यक है कि किसी भी प्रतिकूल आदेश को पारित करने से पहले पक्षकार को प्रकरण की सूचना दी जानी चाहिए। यह नैसर्गिक न्याय के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। यह आखिरकार निष्पक्ष व्यवहार का एक अनुमोदित नियम है।

14. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अनुलग्नक पी/3 के अनुसार, अप्रैल, 2003 से उत्तरवादी क्र.6 और 7 लगातार याचिकाकर्ता की दुकान से पहली बार में शराब उठा रहे थे और पिछले वर्ष भी यही स्थिति थी, लेकिन विद्वान उप आबकारी आयुक्त ने उत्तरवादी क्र.6 और 7 द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर अचानक आदेश अनुलग्नक पी/3 को याचिकाकर्ता को अवसर और सूचना दिए बिना बदल दिया और जिसने याचिकाकर्ता के व्यवसाय को प्रभावित किया है और इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता का व्यवसाय प्रभावित हुआ है, इसलिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) का उल्लंघन है। इसलिए, इस आधार पर आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उत्तरवादी क्र.5 से 7 ने यह आपत्ति उठाई है कि इस याचिका को दायर करने के बजाय याचिकाकर्ता को अपीलीय प्राधिकारी अर्थात् आबकारी आयुक्त से संपर्क करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। उत्तरवादी क्र.5 से 7 द्वारा उठाई गई यह तर्क बलहीन है क्योंकि पहली बार में यद्यपि आक्षेपित आदेश दिनांक 27.12.2003 उप आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किया गया है, लेकिन इसे आबकारी आयुक्त की ओर से पारित किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता के लिए आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील दायर करने का कोई कारण नहीं था। इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील दायर करने का कोई कारण नहीं था, वैसे भी यह विवेक का नियम है न कि विधि का नियम और जहां नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है, याचिकाकर्ता सीधे रिट याचिका दायर करने का हकदार है। हरबंसलाल सहनिया एवं अन्य बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य (2003) 2 एससीसी 107 में रिपोर्टेड प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालय कम से कम तीन आकस्मिकताओं में अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग कर

सकता है: (i) जहां रिट याचिका किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन की मांग करती है; (ii) जहां नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की विफलता हुई हो; या (iii) जहां आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकारिता के बिना हों या किसी अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई हो। वर्तमान प्रकरण में जैसा कि ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए उत्तरवादी क्र.5 से 7 द्वारा उठाया गया तर्क बलहीन है।

16. परिणामस्वरूप याचिका सफल होती है और याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार की जाती है। उप आबकारी आयुक्त द्वारा कलेक्टर (आबकारी) के आदेश अनुलग्नक पी/3 को अधिक्रमित करते हुए पारित आदेश अनुलग्नक आर–7/5 दिनांक 27.12.2003 को अभिखण्डीत और अपास्त किया जाता है।

सही/–
एल.सी. भादू
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By PANKAJ SINGH THAKUR

To,

The Registrar General,
High Court of Chhattisgarh,
Bilaspur (C.G.).

Subject: Bill for Translation Work (Translate the High Court AFR Orders/Judgements from English to Hindi language).

In view of the subject cited above, the translation work of following High Court AFR Orders/Judgements have been done by me.

List of AFR Orders/Judgements with Page No. Againgst the amount are as follows:

SI. NO.	Translation Of Following AFR Orders/ Judgements	No. Of Pages (Eng.)	@200/- Per Page	Total Amount
1	AFR No. 45/2004	12	200	2400/-
			Grand Total=	2400/-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

Therefore, kindly provide the appropriate amount which is fixed as Rs 200/- Per Page, In my account for the said work.

Signature
Name of Advocate: Pankaj Singh Thakur
Mo.No. 9993690756
Email id: Pankajsinghthakur1227@gmail.com
Bank Name : SBI
Bank Ac. No. 20179990221
IFSC Code: SBIN0030490
PAN No. BNHPT8487K